N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024
2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0227 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/10/2024 19:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/10/2024 **Date To (दिनांक तक):** 07/10/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:15 बजे **Time To (समय तक):** 12:15 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/10/2024 **Time (समय):** 19:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/10/2024 19:53:35 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b) **Address(पता):** doctor manju bhargav hospital wali gali, balaji tea stall, allahabad bank ke pas, suratgarh bikaner road
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): sharavan ram

(b) Father's Name (पिता का नाम): shankar lal

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1964 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	sangeeta, suratgarh, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	sangeeta, suratgarh, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	mukesh kumar		पिता:amar singh	1. dhilki jatan,nohar,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA

. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अति0पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर। विषय- पटवारी के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं श्रवण राम पुत्र श्री शंकरलाल जाति मेघवाल उम्र 60 साल निवासी गांव संगीता तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला हूँ। मैं चक 3 एसएलडी-ए के पत्थर नम्बर 51/46, 51/54, 51/62 की करीबन 46 बीघा अराजीराज कृषि भूमि पर करीबन 25 वर्षो से कब्जा काश्त कर रहा हूँ। जिसका समय-समय पर तहसील/पटवारी द्वारा तबान लगाया जाता रहा है, जो मेरे द्वारा जमा करवाया गया है। अब मौका पर मेरे द्वारा इस जमीन पर तीन बीघा में नरमा व शेष जमीन पर ग्वार की बुआई की हुई है। जिसकी गिरदावरी करवाने के लिये मै व मेरा बेटा महेन्द्र कल हमारे हल्का पटवारी श्री मुकेश कुमार से उसके सूरतगढ स्थित प्राईवेट ऑफिस में मिले तो उसने मेरी 25 बीघा जमीन की गिरदावरी की है, शेष जमीन की गिरदावरी नही कर रहा है तथा वह मेरे से 25 बीघा की गिरदावरी के 1000/रूपये प्रति बीघा के हिसाब से 25,000/रूपये रिश्वत की मांग कर रहा, नही देने पर गिरदावरी नही करने की धमकी दे रहा है। मै कम पढा लिखा हूँ, मेरे साथ कार्यवाही में मेरा बेटा महेन्द्र भी साथ रहेगा। मै हमारे जायज काम के बदले मुकेश कुमार पटवारी को रिश्वत नही देकर उसे रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी उससे कोई रंजिश नही है ना ही कोई उधार का लेन देन है। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। दिनांक 01.10.2024 प्रार्थी एसडी श्रवण राम पुत्र श्री शंकरलाल, निवासी गांव संगीता तहसील सूरतगढ [redacted] कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 01.10.24 वक्त 12.15 पीएम पर श्रवण राम पुत्र श्री शंकरलाल जाति मेघवाल उम्र 60 साल निवासी गांव संगीता तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ने एक लिखित प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस के प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने बताया कि मेरे पास चक 3 एसएलडी-ए के पत्थर नम्बर 51/46, 51/54, 51/62 की करीबन 46 बीघा अराजीराज कृषि भूमि करीबन 25 वर्षो से कब्जा काश्त है। जिसका समय-समय पर तहसील/पटवारी द्वारा तबान लगाया जाता रहा है, जो मेरे द्वारा जमा करवाया गया है। अब मौका पर मेरे द्वारा इस जमीन पर तीन बीघा में नरमा व शेष जमीन पर ग्वार की बुआई की हुई है। जिसकी गिरदावरी करवाने के लिये मै व मेरा बेटा महेन्द्र कल हमारे हल्का पटवारी श्री मुकेश कुमार से उसके सूरतगढ स्थित प्राईवेट ऑफिस में मिले तो उसने मेरी 25 बीघा जमीन की गिरदावरी की है, शेष जमीन की गिरदावरी नही कर रहा है तथा वह मेरे से 25 बीघा की गिरदावरी के 1000/रूपये प्रति बीघा के हिसाब से 25,000/रूपये रिश्वत की मांग कर रहा, नही देने पर गिरदावरी नही करने की धमकी दे रहा है। मै मेरे जायज काम के बदले हल्का पटवारी मुकेश को रिश्वत नही देकर उसे रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ, मेरी उससे कोई रंजिश नही है ना ही कोई उधार का लेन देन बकाया है, मै कम पढा लिखा हूँ, मेरे साथ कार्यवाही में मेरा बेटा महेन्द्र भी साथ रहेगा। परिवादी के साथ उसका बेटा महेन्द्र भी उपस्थित आया है, जिसे कार्यालय कक्ष में बुलाकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम महेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्रवणराम जाति मेघवाल उम्र 32 साल निवासी गांव संगीता तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर होना व श्रवणराम उसके पिता होना बताया एवं उसके पिता श्रवण राम द्वारा बताये गये उक्त तथ्य सही होना बताते हुये कार्यवाही में साथ रहने की अपनी सहमति दी तथा प्रार्थना पत्र स्वंय की हस्तलिपि में लिखा होना व उस पर उसके पिता के हस्ताक्षर होने की ताईद की। प्रार्थना पत्र के साथ उक्त भूमि के सम्बधं श्री श्रवणराम के नाम से तहसीलदार सूरतगढ व जल संसाधन विभाग द्वारा जारी दो नोटिस प्रस्तुत किये। जिन पर श्रवण राम के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कागजात किये गये। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने पर परिवादी श्रवणराम एवं महेन्द्र कुमार को उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने के आरोपो का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो श्रवणराम व महेन्द्र कुमार ने आज ही सत्यापन करवाने का कहा। इस पर परिवादी के पुत्र महेन्द्र कुमार को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर उपयोग में लेने की विधि समझाकर श्री भवानी सिंह कानि044 से परिचय करवाया गया तथा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित किया गया। जिसकी फर्द सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकॉर्डर रूबरू गवाहान तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 2.15 पीएम पर श्री भवानी सिंह कानि मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के परिवादी श्री श्रवणराम व सह परिवादी मुकेश कुमार के साथ रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु सूरतगढ के लिए हिदायत कर रवाना किया गया। वक्त 07.15 पीएम पर श्री भवानी सिंह कानि. कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मेरे पेश कर बताया

कि मैं व परिवादी श्रवणराम व सह परिवादी मुकेश कार्यालय हाजा से रवाना होकर सूरतगढ पहुंचे, जहां पर सह परिवादी महेन्द्र कुमार ने अपने मोबाईल न0 [redacted] पर आरोपी मुकेश कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वक्त 4.15 पीएम पर वार्ता की गई तो उसने बस स्टेण्ड के पास बीएसएनएल टॉवर के सामने स्थित चाय की दुकान पर बुलाया। जिस पर मैंने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करके सहपरिवादी मुकेश कुमार को देकर परिवादी श्रवणराम व सहपरिवादी महेन्द्र कुमार दोनो को आरोपी से सम्पर्क कर वार्ता करने की हिदायत की तथा मैं वहीं आस पास गोपनीय स्थान पर मुकीम हो गया। परिवादी व सहपरिवादी करीब आधा घन्टा बाद मेरे पास आये, जिस पर मैंने सहपरिवादी से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर लिया। परिवादी व सहपरिवादी ने मेरे को बताया कि हमारी मुकेश कुमार हल्का पटवारी से हमारे काम के सम्बधं में बात हो गई है, जिसने हमारे से 25 बीघा गिरदावरी के प्रति बीघा 1000/रूपये के हिसाब से 25,000/रूपये रिश्वत की मांग की, जिस पर हमारे द्वारा कम करने की हाथा जोड़ी करने पर उसने हमारे से 20,000/रूपये रिश्वत के लेना तय हुआ है। परिवादी व सह परिवादी ने बताया कि आज हमे कुछ काम है, जिस पर वे वही रूक गये तथा मैं वहां से रवाना होकर कार्यालय हाजा पहुंचा। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर सुना गया तो परिवादी व सह परिवादी के कथन की ताईद हुई। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक 04.10.24 वक्त 01.15 पीएम पर परिवादी श्री श्रवणराम व सह परिवादी श्री महेन्द्र कुमार ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये एवं परिवादी श्री श्रवणराम ने बताया कि दिनांक 01.10.24 को मै व मेरा बेटा महेन्द्र एवं श्री भवानी सिंह कानि. रवाना होकर सूरतगढ पहुंचे, जहां पर महेन्द्र कुमार ने अपने मोबाईल न0 [redacted] पर आरोपी मुकेश कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वक्त 4.15 पीएम पर वार्ता की गई तो उसने बस स्टेण्ड के पास बीएसएनएल टॉवर के सामने स्थित चाय की दुकान पर बुलाया। जिस पर भवानी सिंह ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करके मुकेश कुमार को देकर मुझे व महेन्द्र कुमार दोनो को आरोपी से सम्पर्क करने हेतु भिजवाया था, जिस पर मै व महेन्द्र बीएसएनएल टॉवर के पास एक चाय के होटल पर उसे मिले थे, मुकेश कुमार हल्का पटवारी ने हमारे काम के सम्बधं में बात करते हुये हमारे से 25 बीघा गिरदावरी के प्रति बीघा 1000/रूपये के हिसाब से 25,000/रूपये रिश्वत की मांग की, जिस पर हमारे द्वारा कम करने की हाथा जोड़ी करने पर उसने हमारे से 20,000/रूपये रिश्वत के लेना तय हुआ है। फिर मै व महेन्द्र वापस वहां से रवाना होकर भवानी सिंह के पास चले गये, जिस पर भवानी सिंह ने महेन्द्र से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर ले ली थी। फिर उस दिन हमारे काम होने की वजह से हम वही रूक गये थे व भवानी सिंह वहां से रवाना हो गया था। वक्त 01.50 पीएम पर तलबिदा स्वतन्त्र गवाहान श्री संदीप कुमार वरिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,श्रीगंगानगर एवं श्री शुभम भारती वरिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,श्रीगंगानगर उपस्थित आये। जिनको गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में शामिल रहने बाबत पूछा तो दोनों ने अपनी सहमति प्रदान की। परिवादी श्री श्रवणराम व सह परिवादी श्री महेन्द्र कुमार का उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्य एवं रिश्वत मांग सत्यापन बाबत बताया गया। वक्त 02.00 पीएम पर उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री संदीप कुमार व श्री शुभम भारती व परिवादी श्रवणराम व सहपरिवादी श्री महेन्द्र कुमार की मौजूदगी में दिनांक 04.10.2024 को परिवादी व सहपरिवादी ने आरोपी मुकेश कुमार राजस्व पटवारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर रिश्वत मांग का सत्यापन के समय वार्ता कर वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था जो मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा है को रूबरू गवाहान व परिवादी व सहपरिवादी के कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर सुन सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन तैयार की गई। रिकार्ड वार्ता सुनकर वार्ता में परिवादी ने एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज अपने पुत्र महेन्द्र कुमार की व तीसरी आवाज आरोपी मुकेश कुमार राजस्व पटवारी की होना बताया। इसी प्रकार सह परिवादी ने एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज अपने पिता श्रवणराम की व तीसरी आवाज आरोपी मुकेश कुमार राजस्व पटवारी की होना बताया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता के कम्प्यूटर के जरिये श्री भवानी सिंह कानि0 44 से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड में स्थापित मूल मैंमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित किया गया। वक्त 05.00 पीएम उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री संदीप कुमार व श्री शुभम भारती को आवश्यक हिदायत व परिवादी श्रवणराम व सहपरिवादी मुकेश कुमार को रिश्वती राशि सहित दिनांक 07.10.24 को वक्त 08.00 एएम पर उपस्थित आने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 07.10.2024 वक्त 8.15 एएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री संदीप कुमार व श्री शुभम भारती तथा परिवादी श्री श्रवणराम व सहपरिवादी मुकेश कुमार रिश्वती राशि 20,000/रूपये सहित ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। वक्त 9.00 एएम पर उक्त दोनों गवाहान की मौजूदगी में मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देश पर परिवादी श्री श्रवणराम ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500/रू के 40 नोट कुल 20,000/- रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया। जिनका विवरण इस प्रकार है- 1. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3GQ 319829 2. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0EK 940810 3.

एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8FK 522759 4. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 4KD 815989 5. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 4BN 513741 6. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1DR 041736 7. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8FS 592583 8. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 2TA 503194 9. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 6EA 385116 10. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5TH 452236 11. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0CA 323083 12. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0MN 537733 13. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0CA 323090 14. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1NM 511838 15. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3RA 391406 16. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5EQ 304957 17. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3QL 924012 18. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5GU 566875 19. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1GN 328063 20. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1KV 454101 21. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 1GF 244188 22. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0SF 252329 23. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 9EC 089750 24. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8UN 133330 25. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 9MC 712664 26. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 2TW 441534 27. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 6QL 328857 28. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 3CE 992688 29. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 0VA 512006 30. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5BS 433095 31. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5RN 906660 32. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 2MT 061922 33. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 7WA 316794 34. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8SV 212566 35. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5HL 537111 36. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 4ES 569454 37. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 5PL 184310 38. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 8LB 460176 39. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 6NV 892025 40. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न. 4KF 152941
उक्त प्रस्तुत नोटो को मन उप पुलिस अधीक्षक ने परिवादी एवं गवाहान को दिखाकर श्री रमन दायमा कानि. 48 से फिनालपथलीन पाउडर की शीशी मालखाना से मंगवाकर उक्त सभी नोटो पर फिनालपथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। फिर गवाह संदीप कुमार से परिवादी श्री श्रवणराम की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 20,000/-रूपये के नोटो को श्री रमन दायमा कानि. के जरिये परिवादी के पहने कुर्ते की उपरी बांयी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपी की मांग से पूर्व राशि को हाथ नही लगाये तथा आरोपी के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपी को देवे, आरोपी को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन उप पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बरो पर मिसड कॉल कर रिश्वत राशि देने का ईशारा करें। परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्री रमन दायमा कानि. के हाथो की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया, डिस्पोजेबल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। फिर श्री रमन दायमा कानि. के हाथ को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे परिवादी व आरोपी के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्वत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चौकी हाजा का डिजीटल वाइॅस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर परिवादी श्री श्रवणराम को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। उक्त कार्रवाई की अलग से फर्द सुपुर्दगी नोट मुर्तिब की गई। वक्त 10.15 एएम पर परिवादी श्रवणराम व सह परिवादी महेन्द्र कुमार के साथ श्री दारा सिंह सउनि, श्री भवानी सिंह कानि0 व श्री आशीष कुमार कानि0 को श्री दारा सिंह की निजी कार से रवाना करते हुये पीछे-पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतन्त्र गवाह श्री संदीप कुमार, श्री शुभम भारती एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री जगदीश राय मु0आ0, श्री राजेश कुमार मु0आ0,श्री नरेश कुमार मु0आ0, श्री संजीव कुमार कानि0, श्री भंवर राम कानि0, श्री बजरंग लाल कानि0, श्री पंकज शर्मा कानि0डा0 मय लेपटॉप-प्रिन्टर एवं टेम्प बॉक्स साथ लेकर सरकारी बोलेरो एवं निजी कार से गोपनीय कार्यवाही हेतु बजानिब सूरतगढ की ओर रवाना सूरतगढ स्थित बीकानेर रोड़ पर इलाहाबाद बैंक के पास पहुंच नजदीक गोपनीय स्थान पर वाहनो को रूकवाया गया। जहां पर परिवादी श्रवणराम व सहपरिवादी मुकेश कुमार को आरोपी से सम्पर्क करने आरोपी के प्राईवेट ऑफिस की ओर रवाना करते हुये ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 12.15 पीएम पर परिवादी श्रवणराम ने सूरतगढ स्थित बीकानेर रोड पर इलाहाबाद बैंक के पास, डॉ मंजू भार्गव हॉस्पीटल वाली गली में स्थित बालाजी टी स्टाल चाय की दुकान से मिसड कॉल से ट्रेप का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ

सदस्यों के अविलम्ब चाय की दुकान में बैठे परिवादी के पास पहूंचा तो परिवादी ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर पेश कर पास में ही सौफे पर बैठे एक पेंट शर्ट पहने नवयुवक की ओर ईशारा कर बताया कि यही मुकेश पटवारी है, जिन्होने मेरे से रिश्वत राशि के 20,000/रूपये ईशारा करके अपने हाथ में लिये हुये कागजो पर रखवा लिये, इन कागजो को आपको देखकर पटवारी जी ने इस सौफे पर रख दिये है, जिस पर तुरन्त ब्यूरो स्टाफ से उस युवक को काबु किया गया तो वह घबरा गया, जिसे तसली दी जाकर उक्त युवक को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मुकेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह जाति जाट उम्र 25 साल निवासी गांव ढीलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल राजस्व पटवारी पटवार हल्का संगीता तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर होना बताया। फिर आरोपी से परिवादी से सम्बधिंत कार्य एवं उससे ली गई रिश्वत राशि के सम्बधं में पूछा तो उसने बताया कि साहब इस श्रवणराम की मेरे हल्का के चक 3 एसलडी-ए में अवैध काश्त की धारा 22 की कार्यवाही करीब 10 दिन पहले करके गिरदावर आदि के हस्ताक्षर करवाकर कागजात अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसील कार्यालय सूरतगढमें भिजवा दिये थे, आज यह श्रवणराम आये व मेरे से अपने 10 बीघा अवैध काश्त की गिरदावरी और करने का कहा, जिस पर मेरे द्वारा इनको 25 बीघा जिसकी गिरदावरी की जाकर अवैध काश्त की कार्यवाही की गई है, उसका नोटिस लेने बाबत कहा, फिर मेरे पास रखे कागजो में 20,000/रूपये रख दिये, मेरे द्वारा इनसे कोई रिश्वत की मांग नही की गई है। फिर मौका पर परिवादी श्रवणराम ने स्वतः ही रूबरू गवाहान आरोपी की उक्त बात का खण्डन करते हुये बताया कि मैं चक 3 एसएलडी-ए के पत्थर नम्बर 51/46, 51/54, 51/62 की करीबन 46 बीघा अराजीराज कृषि भूमि पर करीबन 25 वर्षो से कब्जा काश्त कर रहा हूँ। अब सावनी की फसल में मौका पर मेरे द्वारा इस जमीन पर तीन बीघा में नरमा व शेष जमीन पर ग्वार की बुआई की हुई है। जिसकी गिरदावरी करवाने के लिये मै व मेरा बेटा महेन्द्र कल हमारे हल्का पटवारी श्री मुकेश कुमार से उसके सूरतगढ स्थित प्राईवेट ऑफिस में मिले तो उसने मेरी 25 बीघा जमीन की गिरदावरी की है, शेष जमीन की गिरदावरी नही कर रहा है तथा वह मेरे से 25 बीघा की गिरदावरी के 1000/रूपये प्रति बीघा के हिसाब से 25,000/रूपये रिश्वत की मांग की, जिस पर मैने दिनांक 01.10.24 को आपके कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश करके उसी दिन रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया था, जिसमें पटवारी जी ने मेरे से 25 बीघा की गई गिरदावरी के 20,000/रूपये लेना तय किया था, जिस पर आज मै व मेरा बेटा महेन्द्र पटवारी जी के प्राईवेट ऑफिस पर गये तो पटवारी जी अपने ऑफिस के पास स्थित चाय के हॉटल पर बैठे थे, जिन्होने मेरे काम के सम्बधं में वार्ता करते हुये रिश्वत के 20,000/रूपये ईशारा करके अपने हाथ में लिये हुये कागजो में रखवा लिये, फिर मैने आपको मिस कॉल करके ट्रेप का निर्धारित ईशारा कर दिया था, मैने मुकेश कुमार पटवारी को आज इनके मांग अनुसार रिश्वत के ही 20,000/रूपये दिये है। इस पर आरोपी मुकेश कुमार को पुनः पूछा गया तो वह चुप रहा। उक्त घटनाक्रम से परिवादी व आरोपी मुकेश कुमार के मध्य रिश्वत राशि का आदान-प्रदान होने पर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी मुकेश कुमार के दोनो हाथो आदि की धुलाई हेतु सरकारी गाड़ी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो नये पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास लेकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी मुकेश कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'आर-1, आर-2' अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपी मुकेश कुमार के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'एल-1, एल-2' अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी मुकेश कुमार से उसके द्वारा ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने अपने पास में सौफे पर रखे कागजो मंे रखे होना बताया, जिस पर गवाह श्री संदीप कुमार से इन कागजो को उठवाकर चैक करवाया गया तो इन कागजो के बीच से गवाह ने 500-500/रूपये के नोट निकालकर पेश किये, फिर दोनो गवाहो से इन बरामदशुदा नोटो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटो के नम्बरो से करवाने पर दोनो गवाहान ने हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। जिनको गवाह ने गिनकर 500-500/रू के 40 नोट कुल 20,000/रू होना बताया। बरामदशुदा राशि के नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर रिश्वत राशि बरामदगी स्थान वाला सफेद कागज की धुलवाई के लिये एक अलग पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाकर कागज को एक कपडे़ की चिंदी की सहायता से उक्त तैयार घोल में डूबो-डूबोकर कागज को पोंछ-पोंछकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का 'के-1,के-2' अंकित कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर धुलाई के पश्चात रिश्वत राशि बरामदगी स्थान वाला सफेद कागज जो सब रजिस्ट्रार सूरतगढ कार्यालय की मदनलाल के नाम की फीस रसीद दिनांक 27.09.24 है, को सुखाकर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाये गये, रिश्वत राशि बरामदगी स्थान वाला सफेद कागज के संलग्न मदनलाल वगैरा के हक में की

गई दस्तबरादरी के दस्तावेज की फोटो प्रति कुल 12 पेज है, को तथा धुलाई में प्रयुक्त कपड़े की चिंदी को एक पीले रंग के लिफाफा में डालकर सील चिट मोहर किया गया। उक्त रिश्वत बरामदगी एवं हाथ धुलाई आदि कार्यवाही की मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल से विडियो रिकॉर्डिंग की गई। चूंकि घटनास्थल चाय की छोटी सी दुकान है, जिसमें ट्रेप कार्यवाही करने बाबत पर्याप्त व्यवस्था नही है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, ऐसी परिस्थितियों के तहत आगे की कार्यवाही मौका पर किया जाना सम्भव नही होने से मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान गवाहान, परिवादी, सह परिवादी आरोपी व ब्यूरो स्टाफ को हमराह लेकर पुलिस थाना सूरतगढ शहर के लिये रवाना होकर पुलिस थाना सूरतगढ शहर पहूंचा, जहां पर तलविदा श्री पवन कुमार ऑफिस कानूनगो कार्यालय तहसीलदार सूरतगढ परिवादी श्री श्रवणराम से सम्बधिंत दस्तावेज लेकर उपस्थित आया, दस्तावेजो के अवलोकन से पाया गया कि पटवारी हल्का संगीता श्री मुकेश कुमार द्वारा चक 3 एसएलडी-ए के प0न0 51/54 व 51/62 में 6300 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि रकबा राज पर श्री श्रवणराम पुत्र श्री शंकर लाल जाति मेघवाल निवासी संगीता के अतिक्रमण कर सम्वत 2081 खरीफ फसल नाजायज काश्त कर रखी है, के विरूद्ध राज.उप. अधि. 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रपत्र पी-14 में रिपोर्ट दिनांक 30.09.24 को तहसील कार्यालय सूरतगढ में प्रस्तुत की, जिस पर तहसील कार्यालय द्वारा प्रकरण सं. 46/2024 दिनांक 30.09.24 को दर्ज अतिक्रमी श्रवणराम को नोटिस क्रमांक 337 दिनांक 30.09.24 जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 21.10.24 नियत है, उक्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति कुल 05 पृष्ठ प्रस्तुत करने पर शामिल दस्तावेज किये गये। वक्त 2.15 पीएम पर परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर रूबरू गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार कर व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की लेपटॉप से श्री भवानी सिंह से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड में स्थापित मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफैद कपड़े की थैली में सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी मुकेश कुमार राजस्व पटवारी पटवार हल्का संगीता तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब की गई। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी व दोनो गवाहान के घटनास्थल का नक्शा मौका बनाने हेतु पुलिस थाना सूरतगढ शहर से रवाना होकर घटनास्थल इलाहाबाद बैंक के पास गली में स्थित बालाजी टी स्टाल चाय की दुकान पर पहूंच नक्शा मौका एवं हालात मौका तैयार किया गया। तत्श्चात घटनास्थल से रवाना होकर पुलिस थाना सूरतगढ शहर पहूंचा। वक्त 4.35 पीएम पर घटनास्थल बालाजी टी स्टाल चाय की दुकान इलाहाबाद बैंक के पास सूरतगढ पर ट्रेप कार्रवाई के दौरान मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने मोबाईल मॉडल रियलमी 9 प्रो 5-जी से हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि तथा आरोपी से पूछताछ की विडियोग्राफी मोबाईल की Internal Memory में की गई, जिसकी HASH VALUE निकालकर फर्द मं अंकित की गई, मोबाईल को लेपटॉप से कनेक्ट कर श्री भवानी सिंह कानि0 से उक्त विडियोग्राफी को दो अलग अलग 8 जीबी के पैन ड्राईव में कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर मार्क वी-1 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया दुसरे पैन ड्राईव पर मार्क वी-2 अंकित किया गया। जिसको अन्वेषणार्थ खुला रखा गया। तत्पश्चात इस समय ट्रेप कार्रवाई में माल वजह सबूतो को, जिस पीतल की सील न. 50 से सील मोहर चिट किया गया था, उस पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। तत्पश्चात गिरफ्तारशुदा आरोपी मुकेश कुमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सूरतगढ भिजवाकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। वक्त 6.30 पीएम पर मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर परिवादी श्रवणराम व सहपरिवादी मुकेश कुमार को मौका से आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस गिरफ्तारशुदा आरोपी मुकेश कुमार के हमराहीयान के जब्तशुदा एवं बरामदशुदा वजह सबूत आदि के निजी कार एवं सरकारी बोलेरो गाड़ी से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहुंचा। मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत छः शील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 20,000/रू रिश्वत राशि, शील्ड शुदा कागज व चिंदी, शील्डशुदा दो मैमोरी कार्ड, तीन शील्डशुदा पैन ड्राईव आदि श्री राजेश कुमार मु0आ0 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनो गवाहान आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्रवण राम पुत्र श्री शंकरलाल जाति मेघवाल निवासी गांव संगीता तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा चक 3 एसएलडी-ए के पत्थर नम्बर 51/46, 51/54, 51/62 की करीबन 46 बीघा अराजीराज कृषि भूमि करीबन 25 वर्षो से कब्जा काश्त होना, जिस पर खरीफ 2024 में तीन बीघा में नरमा व शेष जमीन पर ग्वार की बुआई की हुई है। जिसकी ग़िरदावरी करवाने के लिये परिवादी व उसका बेटा महेन्द्र दिनांक 30.09.24 को हल्का पटवारी श्री मुकेश कुमार से उसके सूरतगढ स्थित प्राईवेट ऑफिस में मिले तो उसने 25 बीघा जमीन की गिरदावरी/अवैध काश्त की रिपोर्ट तैयार करना एवं शेष जमीन की गिरदावरी नही कर की गई 25 बीघा की गिरदावरी के 1000/रूपये प्रति बीघा के हिसाब से 25,000/रूपये रिश्वत की मांग की। जिस पर परिवादी व सहपरिवादी द्वारा दिनांक 01.10.24 को ब्यूरो कार्यालय पर प्रार्थना पत्र देना व उसी रोज परिवादी व सहपरिवादी को

आरोपी मुकेश कुमार के पास भिजवाकर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी मुकेश कुमार द्वारा 25,000/-रूपये रिश्वत मांगकर 20,000/रूपये रिश्वत लेना तय किया गया। उक्त रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 07.10.24 को परिवादी श्रवणराम से आरोपी मुकेश कुमार द्वारा सूरतगढ स्थित इलाहाबाद बैंक के पास गली में स्थित बालाजी टी स्टाल पर बैंठकर रिश्वत राशि अपने हाथ में लिये कागजो में रखवाना, जहां से रिश्वत राशि बरामद होना आरोपी मुकेश कुमार के हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थान कागज की जेब से धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग मटमैला एवं हल्का गुलाबी प्राप्त होना, वक्त सत्यापन व वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में रिष्वत की मांग व रिष्वत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी मुकेश कुमार राजस्व पटवारी पटवार हल्का संगीता तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर द्वारा उक्त पद का लोक सेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर परिवादी श्रवणराम से 20,000/रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का घटित होना पाये जाने पर आरोपी मुकेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह जाति जाट उम्र 25 साल निवासी गांव ढीलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल राजस्व पटवारी पटवार हल्का संगीता तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (भुपेन्द्र कुमार) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम .....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट भुपेन्द्र कुमार,उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर -प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी मुकेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह उम्र 25 साल निवासी गांव ढीलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल राजस्व पटवारी पटवार हल्का संगीता तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री वेद प्रकाश पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर -द्वितीय को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 594 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1232-36 दिनांक 08-10-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम श्रीगंगानगर। 2-जिला कलक्टर श्रीगंगानगर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, तृतीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर। 4 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** ved prakash **Rank**
(जाँच अधिकारी का नाम): lakhotiya **(पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: [redacted]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1999				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)